न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 53 / 2023

प्रार्थीगण — बनाम — अप्रार्थीगण

1 हजारीराम पुत्र धुडाराम जाति विश्नोई निवासी अलाय तहसील व जिला नागौर
2 मूलसिंह पुत्र बाघसिंह जाति राजपूत निवासी अलाय तहसील व जिला नागौर
3 महावीरसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी अलाय तहसील व जिला नागौर।
4 नथुराम पुत्र चन्द्राराम जाति नायक निवासी अलाय तहसील व जिला नागौर
(प्रार्थीगण बहैसियत खुद व बहैसियत प्रतिनिधिगण आम जनता ग्राम अलाय तहसील व जिला नागौर)

बनाम

1 पंचायत भवन, अटल सेवा केन्द्र जरिये सरपंच ग्राम पंचायत धूंधवालो की ढाणी तहसील व जिला नागौर।
2 ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत धूंधवालो की ढाणी तहसील व जिला नागौर।

उपस्थिति–

1 श्री भगवानसिंह राठौड अधिवक्ता, प्रार्थीगण की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय

दिनांक 25.03.2026

1– प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत धूंधवालों की ढाणी द्वारा पट्टा संख्या 001 मिसल नम्बर 01/2015–16 दिनांक 21.03.2016 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 14.07.23 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थीगण की निगरानी दिनांक 20.07.2023 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण दिनांक 25.07.2025 को न्यायालय हाजा मे उपस्थित हुए, तत्पश्चात अनुपस्थित रहे है। प्रार्थीगण ने अपनी निगरानी के समर्थन में ग्राम पंचायत धूंधवालों की ढाणी के पटटा संख्या 1 व 20 की फोटोप्रति, तहसीलदार (भू. अभिलेख) नागौर के पत्र दिनांक 27.07.17 की फोटोप्रति, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नागौर के पत्र दिनांक 07.09.17 की फोटोप्रति, कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति नागौर के पत्र दिनांक 27.07.17 व दिनांक 30.12.16 की फोटोप्रति, पंचायत समिति नागौर की जांच रिपोर्ट की फोटोप्रति, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर के पत्र की फोटोप्रति, कार्यालय जिला परिषद नागौर के पत्र की फोटोप्रति, जिला परिषद की जांच रिपोर्ट की फोटोप्रति, सामूहिक बयान की फोटोप्रति, संशोधित अधिसूचना की फोटोप्रति, पंचायत समिति अलाय के पत्र दिनांक 28.12.16 की फोटोप्रति, माननीय जिला कलक्टर नागौर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों की फोटोप्रति, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय दिनाक 15.05.25 की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगाया गया।

2– बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि –

2(1)– पटटा जैर निगरानी कतई गलत, विधि विरूद्व बिना किसी प्रकार की जांच किये, बिना पटटा की विधिक प्रक्रिया अपनाये बाले बाले बिना क्षेत्राधिकार के जारी किया होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2(2)–उक्त पटटा संख्या 1/दिनांक 21.03.16 जारी करने का ग्राम पंचायत धूंधवालों की ढाणी को कोई विधिक अधिकार नहीं था क्योंकि राज्य द्वारा संशोधित अधिसूचना के अनुसार उक्त अस्पताल भूमि को ग्राम पंचायत अलाय की होना स्वीकृत करने के संबंध में जिला कलक्टर नागौर को रेकर्ड में आवश्यक इन्द्राज करने हेतु अधिकृत किया गया था तथा इसकी जानकारी ग्राम पचांयत धूंधवालों की ढाणी के सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंचों, ग्राम विकास अधिकारी सभी को होते हुए भी तथा मौके पर भूमि आबादी अलाय में होने व वहां पर 35 साल पुराना अस्पताल भवन बना होने व 35 साल पुराना पटटा जारी किया होने के बावजूद उक्त जायगा को खाली जगह बता कर पटटा पर पटटा बनाया गया है जो कतई विधि सम्मत नहीं है सारी कार्यवाही व कृत्य दूषित है तथा राजनेतिक द्वेष भावना की जगह से तथा हम आम जनता को उक्त अस्पताल की सेवाओं से वंचित करने के दुराशय से फर्जी व गैर कानूनी पश्चातवर्ती पटटा बनाया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

21/3/26

अपर कलक्टर, नागौर

2(3)– राजस्थान पंचायत राज अधिनियम व पटटा संबंधित अधिनियम, नियमों के अनुसार किसी भी सम्पति का पटटा जारी करने से पूर्व उक्त सम्पति संबंधित ग्राम पंचायत की आबादी/क्षेत्राधिकार की होने बाबत जांच की जाती है व फिर वार्ड पंचों की टीम का गठन करके मौका निरीक्षण किया जाता है व आम जनता की राय व बयान आदि लिये जाकर मौके की स्थिति के अनुसार पूर्व का कोई पटटा जारी नहीं हो तभी विधिवत प्रक्रिया के तहत व आपति आमंत्रण करके पटटा जारी किया जाता है जबकि इस प्रकरण में न तो वार्ड पंचों की कोई कमेटी का गठन हुआ न मौका निरीक्षण किया न आम सभी की मिटिंग ली न ही हम प्रार्थीगण ग्रामवासियों से पूछताछ की न ही आपति सूचना जारी की गयी और बिना क्षेत्राधिकार के ग्राम पंचायत अलाय की आबादी मे स्थित अस्पताल भवन मौके पर संचालित होते हुए भी मौके पर उक्त भवन के तथ्यों को छुपा कर षडयंत्र के तहत कूटरचित दस्तावेज तैयार कर मूल्यवान प्रतिभूमि कथित पटटा की कूटरचना कर मिथ्या व फर्जी तैयार किया गया है इसके संबंध में पुलिस विभाग मे अलग से कार्यवाही की जायेगी लेकिन कथित पश्चातवर्ती पटटा की आड में हम प्रार्थीगण के उक्त अस्पताल जिससे प्रार्थीगण सेवाएं लेते है उस भवन को तोडने, ध्वस्त करने की ऐलानिया पूर्व उप सरपंच के पति मोडाराम वगैरा द्वारा धमकियां दी जा रही है जबकि अस्पताल भवन को जिस ट्रस्ट ने बनाया व सरकार को सरेंडर किया उस ट्रस्ट को नोटिस व सूचना दिये बिना गैर कानूनी पश्चातवर्ती पटटा जैर निगरानी जारी किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

2(4)– इस संबंध में विवाद होने पर तहसीलदार ने जांच की जिसमें यह पाया कि उक्त भवन ग्राम आबादी अलाय में है तथा ट्रस्ट ने उक्त भवन को सन 2008 मे सरकार को सरेंडर कर दिया है। जिससे भी उक्त भवन ग्राम अलाय मे स्थित पुराना पटटा बना हुआ है।

2(5)–इस संबंध में उपखण्ड अधिकारी ने भी दिनांक 07.09.2017 को जांच रिपोर्ट पेश की जिसमे भी यह पाया कि उक्त भूमि आबादी अलाय की है तथा विकास अधिकारी पंचायत समिति नागौर ने भी दिनांक 27.07.2017 को जांच कर रिपोर्ट पेश की जिसमे भी ग्राम पंचायत अलाय की आबादी में उक्त भवन होना माना। तहसीलदार नागौर ने दिनांक 27.07.2017 को जांच रिपोर्ट तैयार की जिसमे भी उक्त भूमि ग्राम आबादी अलाय का खसरा बताया व वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बना होना बताया व सम्पूर्ण खसरा आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अलाय के कब्जा में होना बताया गया है। इसके अलावा सी.ई.ओ. जिला परिषद नागौर की रिपोर्ट दिनांक 25.01.2018 जो ग्राम विकास एवं पचायंत राज विभाग जयपुर/पंचायती राज विभाग जयपुर को भेजी उसमें भी उक्त जमीन वर्तमान में आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अलाय के कब्जा में होना माना है व धूंधवालों की ढाणी के आवंटन को निरस्त किये जाने की रिपोर्ट की गयी है। इसके अलावा शासन उप सचिव विधि, ग्राम विकास एवं पंचायत राज विभाग जयपुर ने जिला कलक्टर नागौर को दिनांक 31.07.2017 को पत्र प्रेषित किया जिसमे दोनों पंचायतों के मध्य विवाद के निस्तारण हेतु मुख्य कार्यवारी अधिकारी जिला परिषद नागौर को निस्तारण हेतु अधिकृत किया और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद नागौर की रिपोर्ट दिनांक 25.01.2018 में उक्त भवन ग्राम आबादी अलाय ग्राम पंचायत अलाय में माना गया व धूंधवालों की ढाणी के द्वारा जारी पटटा निरस्त करने का लिखा गया। इस प्रकार तमाम प्रशासनिक अधिकारियों, सरकारी तंत्र द्वारा जांचें की गयी सभी रिपोर्टों मे उक्त भवन ग्राम आबादी अलाय व ग्राम पंचायत अलाय में होना माना है व पूर्व का पटटा ग्राम पचांयत अलाय द्वारा जारी किया हुआ है जिसकी जानकारी सरपंच ग्राम पंचायत धूंधवालों की ढाणी, विकास अधिकारी व अन्य को होते हुए भी पटटा पर पटटा बिना अधिकार के जारी कर दिया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

2(6)–चूंकि ग्राम पंचायत धूंधवालों की ढाणी के तत्कालीन सरपंच धन्नाराम, तत्कालीन उप सरपंच के पति मोडाराम व अन्य कुछ भूमाफियों गिरोह के लोगों ने एक अपराधिक षडयंत्र बना रखा है जो ग्राम पंचायत अलाय वालों से अदावत रखते है तथा राजनेतिक द्वैषता की वजह से हठधर्मिता अपनाते हुए आम जनता को उक्त अस्पताल भवन की सेवाओं से वंचित करने के दुराशय से उक्त फर्जी पटटा तैयार किया गया है जिसमें न केवल ग्राम पंचायत अलाय व अस्पताल वाले बल्कि प्रार्थीगण आम जनता पीडित व प्रभावित पक्षकार है व किसी भी पक्षकार आम जनता अलाय को उक्त फर्जी पटटा के संबंध में कार्यवाही करने का विधिक अधिकार है।

2(7)–पटटा पर पटटा जारी करने का कोई विधिक अधिकार किसी भी ग्राम पंचायत को नहीं होता है पूर्व का पटटा संख्या 20 दिनांक 15.05.1985 आज दिन प्रभावी व अस्तित्व में है तो उसी पटटासुद जायगा का दूसरा पटटा संख्या 1/दिनाक 21.03.2016 अपने आप में अवैध शून्य करार दिये जाने योग्य था व है जिसे अपास्त किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है जिसके पर्याप्त आधार पत्रावली पर उपलबध है।

२९/३/२४

अपर कलक्टर, नागौर

2(8)–उक्त पटटा के संबंध में प्रार्थीगण व आम जनता द्वारा लगातार प्रशासनिक अधिकारियों व सरकार के समक्ष शिकायतें करते रहे है तथा समय समय पर सरकारी तंत्र, प्रशासनिक अधिकारियों ने जांचें की व हर जांच में उक्त भूमि ग्राम पंचायत अलाय की मानी व कथित पटटा को अवैध माना व निरस्त करने का पूरजोर आश्वासन देते रहे जिससे हम इसी विश्वास मे रहे कि उक्त पश्चातवर्ती पटटा सरकारी स्तर पर निरस्त कर दिया होगा लेकिन हाल ही में जानकारी हुई कि उक्त पटटा अभी तक सरकारी स्तर पर निरस्त नहीं हुआ है जिस पर ग्राम पंचायत धूंधवालों की ढाणी से अभी प्रमाणित प्रति कथित पटटा की लेने व प्रार्थीगण को जुलाई 2023 में उक्त प्रमाणित प्रति मिलने पर पूरी जानकारी हुई है जिससे अब यह निगरानी पेश की गई।

3– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत धुंधवालों की ढाणी द्वारा पट्टा संख्या 001 मिसल नम्बर 01/2015–16 दिनांक 21.03.2016, को निरस्त किये जाने को लेकर प्रस्तुत की गई। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद रूप से स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि पर पूर्व में तत्कालीन ग्राम पंचायत, अलाय द्वारा पटटा संख्या 20 दिनांक 15.05.1985 को चिकित्सालय जगदम्बा ट्रस्ट के पक्ष में विधिवत जारी किया जा चुका था। विधिक स्थिति यह है कि एक बार किसी भूमि का पटटा नियमानुसार जारी कर दिए जाने के पश्चात, ग्राम पंचायत को उसी भू भाग पर पुनः द्वितीय पटटा जारी करने का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं रहता। कार्यालय पंचायत समिति, नागौर की जांच रिपोर्ट दिनांक 28.12.2016 इस तथ्य की पुष्टि करती है कि खसरा नम्बर 1705/1788, रकबा 6 बीघा पर पूर्व में ही वर्ष 1985 में पटटा अस्तित्व में था। इसके बावजूद, ग्राम पंचायत धुंधवालों की ढाणी द्वारा उसी स्थान पर पंचायत भवन, अटल सेवा केन्द्र एवं अन्य राजकीय भवन के नाम पटटा संख्या 001 जारी कर दिया गया, जो कि पटटे पर पटटा होने के कारण विधि की दृष्टि मे शून्य एवं अवैध है। ऐसी परिस्थिति में, ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया उक्त पट्टा संख्या 001 मिसल नम्बर 01/2015–16 दिनांक 21.03.2016 प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों एवं विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल है, ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

4– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत धुंधवालों की ढाणी द्वारा पंचायत भवन अटल सेवा केन्द्र एवं अन्य राजकीय भवन के हक में जारी पट्टा संख्या 001 मिसल संख्या 01/2015–16 दिनांक 21.03.2016, व इससे संबंधित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव जैर निगरानी निरस्त किया जाता है।

5– निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर